



2026:AHC:1703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44866/2025

रामजग उर्फ वीरा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : यादवेश यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक रामजग उर्फ वीरा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 80/2025, धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना नौगढ़, जिला चंदौली में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वध के लिए पशुओं के परिवहन का आरोप झूठा है। वर्तमान आवेदक के कब्जे से न तो गो-वंश या गो-मांस बरामद हुआ है और न ही कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु। आवेदक पशुओं के क्रय-विक्रय के व्यवसाय में शामिल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। आवेदक दिनांक 31.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सह-अभियुक्तगण ब्रजेश सिंह और राधे यादव उर्फ राधेश्याम यादव को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के विरुद्ध 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किया गया है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है।

5. समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और साक्ष्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु मामला बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

7. अभियुक्त-आवेदक **रामजग उर्फ वीरा** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए –

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

27 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।